



CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2024/10/SUP-CRA/04

May 3, 2024

To,
All the APY stakeholders

Subject: Extending APY to all CRAs

The Government of India (GoI) had introduced APY, with effect from 1st June, 2015, pursuant to the announcement in the budget for 2015-16 for the purpose of building a Pensioned Society where the old age income of every Indian Citizen from unorganized sector is secured with regular stream of monthly income. APY is administered by the PFRDA through its scalable NPS technology architecture as per the policy guidelines of GoI.

2. Under the NPS architecture, Central Recordkeeping Agency (CRA) is responsible for the centralized recordkeeping, administration and customer service functions for all the subscribers under the NPS & APY and acts as operational interface for all intermediaries. Out of the three registered CRAs, *currently only Protean eGov Technologies Ltd. offers APY related services*. The other two registered CRAs are mentioned below:

1. Computer Age Management Services Ltd. (CAMS)
2. KFin Technologies Ltd.

3. In order to bring in competition and allowing a level playing field to the CRAs registered with PFRDA, it has been decided to allow the Point of Presence (PoP) registered with the Authority to choose a CRA of their choice including option of having multiple CRAs for servicing the APY subscribers. The charges by CRAs for APY related services are mentioned below.

Charge Head	Protean CRA	Kfintech CRA	CAMS CRA
PRA Opening (One Time)	Rs.15/-	Rs.15/-	Rs.15/-
PRA Maintenance (Per Annum)	Rs.20/-	Rs.14.40/-	Rs.16.25/-
Per Transaction (Financial/Non-Financial)	NIL	NIL	NIL

4. The said *choice of CRA to the PoP shall be optional*. Also, a APY subscriber can opt for choosing a CRA from the CRAs available with the PoP. Further, portability for choosing a CRA within the subscriber's PoP is allowed for both existing as well as new APY subscribers. The contact details of CRAs are mentioned at Annexure for better coordination.

5. The PoPs and CRAs shall be responsible for all data including timely MIS sharing with the concerned stakeholders. To facilitate informed decision, PoPs and CRAs shall host information pertaining to the charges applicable and all other relevant information to APY subscribers on their respective websites.

Chief General Manager

Annexure

Contact details of CRAs:

No.	Name of the CRA	Contact details
1	Computer Age Management Services Ltd.	Mr. Rahul Goyal rahul.goyal@camsonline.com Mob: 7305991961
2	KFin Technologies Ltd.	Mr. Siddharth Gautam siddharth.gautam@kfintech.com Mob: 9820670972
3	Protean eGov Technologies Ltd.	Mr. Vinayak Patil Vinayakp@proteantech.in Mob: 9819826674



परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2024/10/एसयूपी-सीआरए/04 दिनांक : 03.05.2024

प्रति
सभी एपीवाई हितधारक

विषय : सभी सीआरए तक एपीवाई का विस्तार

भारत सरकार द्वारा वित्तवर्ष 2015-16 हेतु बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में एक पेंशनभोगी समाज, जहां असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय नागरिक की वृद्धावस्था आय को नियमित मासिक आय द्वारा सुरक्षित किया जाए, के निर्माण के लिए दिनांक 1 जून, 2015 से एपीवाई की शुरुआत की गयी थी। एपीवाई को भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, मापनीय एनपीएस प्रौद्योगिकी स्थापत्य के माध्यम से पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित किया जाता है।

2. एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) एनपीएस और एपीवाई के अंतर्गत सभी अभिदाताओं हेतु केंद्रीकृत अभिलेखपालन, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों के लिए उत्तरदायी है और यह सभी मध्यस्थों के लिए परिचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में पंजीकृत तीन सीआरए में से, केवल प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ही एपीवाई से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। अन्य दो पंजीकृत सीआरए निम्नलिखित हैं :

1. कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस / कैम्स)
2. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

3. पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत सीआरए में प्रतिस्पर्धा लाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) को एपीवाई अभिदाताओं की सेवा के लिए अपनी पसंद का सीआरए चुनने के साथ ही अनेक सीआरए रखने के विकल्प की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। एपीवाई से संबंधित सेवाओं के लिए सीआरए के शुल्क निम्नानुसार हैं -

चार्ज हेड (शुल्क शीर्षक)	प्रोटियन सीआरए	केफिनटेक सीआरए	सीएएमएस / कैम्स सीआरए
पीआरए खोलना (एक बार)	रु.15/-	रु.15/-	रु.15/-
पीआरए रखरखाव (प्रति वर्ष)	रु.20/-	रु.14.40/-	रु.16.25/-
प्रति लेनदेन (वित्तीय/गैर-वित्तीय)	शून्य	शून्य	शून्य

4. पीओपी द्वारा सीआरए का उक्त चयन वैकल्पिक होगा। इसके अलावा, कोई एपीवाई अभिदाता पीओपी के साथ उपलब्ध सीआरए में से सीआरए का चयन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा और नए एपीवाई अभिदाताओं दोनों के लिए अभिदाता के पीओपी के भीतर सीआरए चयन में पोर्टेबिलिटी को अनुमति दी गई है। बेहतर समन्वय के लिए सीआरए के संपर्क विवरण अनुलग्नक में उल्लिखित हैं।

5. पीओपी और सीआरए, संबंधित हितधारकों के साथ समय पर एमआईएस साझा करने सहित सभी डेटा के लिए जिम्मेदार होंगे। एपीवाई अभिदाताओं को सूचित निर्णय की सुविधा प्रदान करने के लिए, पीओपी और सीआरए उनपर लागू शुल्कों से संबंधित जानकारी और अन्य सभी प्रासंगिक सूचनाओं को अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराएंगे।

मुख्य महाप्रबंधक

सीआरए का संपर्क विवरण:

क्र.सं.	सीआरए का नाम	संपर्क विवरण
1	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	Mr. Rahul Goyal rahul.goyal@camsonline.com Mob: 7305991961
2	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड.	Mr. Siddharth Gautam siddharth.gautam@kfintech.com Mob: 9820670972
3	प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	Mr. Vinayak Patil Vinayakp@proteantech.in Mob: 9819826674